

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18 - 21)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ बझजलास श्री चिगनलाल गीना R.A.S

मिसल नं.

149/2019पुराने व 204/2019नये

तारीख फैसला

16/08/2023

-उनवान -

अशोक पुत्र रामधन जाति जांगिड निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर

.....वादी

बनाम

1. रामअवतार पुत्र चिरंजीलाल

2. मूरलीधर पुत्र चिरंजीलाल

3. महेशचन्द पुत्र चिरंजीलाल

4. कमलेश पुत्र चिरंजीलाल

5. हरिनारायण पुत्र चिरंजीलाल

6. कमपूरी पूत्री रामधन

7. कन्ता पुत्री रामधन

8. रमेश पुत्र रामधन

9. रामराय पुत्र रामधन

10. देवेन्द्र पुत्र रामधन

11. महेन्द्र पुत्र रामधन

12. सरवणी देवी पत्नी कैलाश

13. पवन पुत्र कैलाश

14. राहुल पुत्र कैलाश

समस्त जाति खाती निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

1. अनिता पत्नी रामकरण पुत्री कैलाश निवासी नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुण्डा तहसील आमेर

2. भनिषा पत्नी बनवारी पुत्री कैलाश निवासी नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुण्डा तहसील आमेर

3. भाया पत्नी सोमप्रकाश कैलाश निवासी नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुण्डा तहसील आमेर

4. विद्या पत्नी अरुण पुत्री कैलाश निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील दौसा

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
उप पंजीयक आंधी तहसील जमवारामगढ़ हाल तहसील आंधी

.....प्रतिवादीगण

क्षेत्र अभिभाषक

रामस्वरूप शर्मा :- वकील वादी

हुमान सहाय शर्मा :- वकील प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

अन्तिम डिक्री

दिनांक 14.8.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर0 ए0 एस0 डिक्री श्री रामस्वरूप शर्मा एडवोकेट मिनजातिव श्री हनुमानसहाय शर्मा मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता अतः वादी का वाद न रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 162 रकबा 1.2392 हैक्ट. व खसरा नम्बर रकबा 0.0506 हैक्ट. वाके ग्राम नाभावाला तहसील आंधी में स्थित हैं का प्राथमिक डिक्री पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

नाता रख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टियर	किस्म
	कमलेश पुत्र चिरंजीलाल, मुरलीधर पुत्र चिरंजीलाल, महेशचन्द्र पुत्र चिरंजीलाल, रामावतार पुत्र चिरंजीलाल, हरिनारायण पुत्र चिरंजीलाल, हि.व.हि जाति खाती सा.देह.	नाभावाला	162/1	0.6196	
	कुल खसरा व रकबा	नाभावाला	162/1	0.6196	

नाता रख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टियर	किस्म
	अशोक पुत्र रामधन कमपुरी देवी पुत्र रामधन, कान्ता पुत्री रामधन, देवेन्द्र पुत्र रामधन, महेन्द्र पुत्र रामधन, रमेश पुत्र रामधन, रामराय पुत्र रामधन, हि. व.हि. 7/8 जाति खाती एवं अनिता पुत्री कैलाश, पवन पुत्र कैलाश, मनिषा पुत्री कैलाश, माया पुत्री कैलाश, राहुल पुत्र कैलाश, विधा पुत्री कैलाश, श्रवणी पत्नी कैलाश, हि. व हि. 1/8 जाति खाती सा.देह.	नाभावाला	162/2	0.6196	
	कुल खसरा व रकबा		162/2	0.6196	
	कमलेश, मुरलीधर, महेश चन्द्र, रामावतार, हरिनारायण पुत्रान चिरंजीलाल हि.व हि. 1/2, अशोक, देवेन्द्र, महेन्द्र, रमेश, रामराय	नाभावाला	163	0.0506	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पुत्रान रामधन ,हि.व.हि 5/16, कमपूरी देवी, कान्ता पुत्रिया रामधन हि. व.हि. 2/16 , पवन , राहुल, पुत्रान कैलाश, हि.व हि. 2/112, अनिता ,मनिषा , माया , विधा पुत्रीया कैलाश, हि0 व0 हि0 4/112, श्रवणी पत्नी कैलाश हि.व.हि 1/1 012 जाति खाती सा. देह. खातेदार				
	नाभावला	163	0.0506	

तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग - अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हैं।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
ज्ञानावकील			महन्तानावकील		
गवाहान			खर्चा गवाहान		
हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
			मुत0		
मिलान			मिलान		

14/08/23
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.

49/2019पुराने व 204/2019नये

तारीख फैसला

16/08/2023

—उनवान —

1. अशोक पुत्र रामधन जाति जांगिड निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर

.....वादी

बनाम

1. रामअवतार पुत्र चिरंजीलाल

2. मूरलीधर पुत्र चिरंजीलाल

3. महेशचन्द पुत्र चिरंजीलाल

4. कमलेश पुत्र चिरंजीलाल

5. हरिनारायण पुत्र चिरंजीलाल

6. कमपूरी पूत्री रामधन

7. कन्ता पुत्री रामधन

8. रमेश पुत्र रामधन

9. रामराय पुत्र रामधन

10. देवेन्द्र पुत्र रामधन

11. महेन्द्र पुत्र रामधन

12. सरवणी देवी पत्नी कैलाश

13. पवन पुत्र कैलाश

14. राहुल पुत्र कैलाश

समस्त जाति खाती निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

5. अनिता पत्नी रामकरण पुत्री कैलाश निवासी नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुण्डा तहसील आमेर

8. मनिषा पत्नी बनवारी पुत्री कैलाश निवासी नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुण्डा तहसील आमेर

7. माया पत्नी सोमप्रकाश कैलाश निवासी नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुण्डा तहसील आमेर

1. विद्या पत्नी अरुण पुत्री कैलाश निवासी ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील दौसा

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

उप पंजीयक आंधी तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ जयपुर

16/8/23

स्थित अभिभाषक

नामस्वरूप शर्मा :- वकील वादी

मुमान सहाय शर्मा :- वकील प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :- दिनांक 14.8.2023

वादी ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि जमीन खसरा नम्बर 162 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी मे वादी का हिस्सा 1/6 स्थित है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 18 डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादित खसरा नम्बर 162 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ का कब्जा काश्त को मध्य नजर में लिये सरस - नरस के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी का राजस्व दर्ज व लगान अलग अलग कायम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये दिनांक 14.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की और से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 18 को रजि0 डाक तलवी नोटिस नोटिस भिजवाये जाने उपरान्त भी आज तक उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 18 वाबजूद तलवी अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10.10.2022 को इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही तलवी में लाई गई। दिनांक 5.12.2022 को उभय पक्ष की बहस सूनी गई तथा पत्रावली का अलोकन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस सूनने व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा व काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर खसरा नम्बर 162, 163 वाके ग्राम नाभावाला तहसील आंधी के उक्त खसरा नम्बरों की वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कि जाकर तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात हेतु लिखा गया जिसमे दिनांक 26.7.2023 को आदेशानुसार तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात पर उभयपक्षों को सुना गया। वकील वादी ने कुर्रेजात का विरोध किया और वादी ने मुताबिक कुर्रेजात दावे को स्वीकार करने निवेदन किया।


वकील उभय पक्ष की तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर बहस सूनी गई, पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा दावा का अवलोकन किया गया, तहसीलदार आंधी के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने बटवारा हिस्से अनुसार किया है। अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता खसरा नम्बर 162 रकबा 1.2392 हैक्टे. व खसरा नम्बर 163 रकबा 0.2396 हैक्टे0 वाके ग्राम नाभावाला तहसील आंधी में स्थित हैं का प्राथमिक डिक्री अनुसार वादी प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म
	कमलेश पुत्र चिरंजीलाल, मुरलीधर पुत्र चिरंजीलाल, महेशचन्द्र पुत्र चिरंजीलाल, रामावतार पुत्र चिरंजीलाल, हरिनारायण पुत्र चिरंजीलाल, हि.व.हि जाति खाती सा.देह.	नाभावाला	162/1	0.6196	
	कुल खसरा व रकबा	नाभावाला	162/1	0.6196	

नाम प्रस्तावित खातेदार	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टियर	किस्म
अशोक पुत्र रामधन कमपुरी देवी पुत्र रामधन, कान्ता पुत्री रामधन, देवेन्द्र पुत्र रामधन, महेन्द्र पुत्र रामधन, रमेश पुत्र रामधन, रामराय पुत्र रामधन, हि.व.हि. 7/8 जाति खाती एवं अनिता पुत्री कैलाश, पवन पुत्र कैलाश, मनिषा पुत्री कैलाश, माया पुत्री कैलाश, राहुल पुत्र कैलाश, विधा पुत्री कैलाश, श्रवणी पत्नी कैलाश, हि.व हि. 1/8 जाति खाती सा.देह.	नाभावाल I	162/2	0.6196	
कुल खसरा व रकबा		162/2	0.6196	
कमलेश, मुरलीधर, महेश चन्द, रामावतार, हरिनारायण पुत्रान चिरंजीलाल हि.व हि. 1/2, अशोक, देवेन्द्र, महेन्द्र, रमेश, रामराय पुत्रान रामधन, हि.व.हि 5/16, कमपुरी देवी, कान्ता पुत्रिया रामधन हि. व.हि. 2/16, पवन, राहुल, पुत्रान कैलाश, हि.व हि. 2/112, अनिता मनिषा, माया, विधा पुत्रीया कैलाश, हि0 व0 हि0 4/112, श्रवणी पत्नी कैलाश हि.व.हि 1/112 जाति खाती सा. देह. खातेदार	नाभावाल I	163	0.0506	
	नाभावाल I	163	0.0506	

तहसीसलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग - अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हैं।

निर्णय आज दिनांक 14 अगस्त 2023 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 जमवारामगढ़, जिला जयपुर